राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 122/2018

दाताराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर (राज.)।
2. डिवीजनल ऑफिसर, संस्कृत शिक्षा, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.01.2018
आदेश की दिनांक : 09.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय के पद पर कार्य कर रहा है। उसकी नियुक्ति दिनांक 25.01.1993 को हुई थी। आदेश दिनांक 18.10.2001 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जांच प्रारंभ की गई और आदेश दिनांक 13.07.2006 के द्वारा अपीलार्थी को दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से संचयी प्रभाव से दण्डित किया गया, जिसकी पालना में चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.2003 जो दण्ड से पूर्व, को रोका गया और दण्ड को आगे भी बढाया गया। जबकि दिनांक 25.01.2003 को अपीलार्थी को कोई दण्ड नहीं दिया गया था। परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग उक्त चयनित वेतनमान को रोका गया और आदेश दिनांक 19.09.2017 के द्वारा चयनित वेतनमान को निरस्त किया गया, जो दिनांक 25.01.2005 से दिया गया था और प्रत्यर्थी विभाग 4 वर्ष से चयनित वेतनमान को रोके हुये हैं। क्योंकि दण्ड 2 वर्ष से दिनांक 13.07.2006 से गणना की

जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जो राशि पूर्व में भुगतान की गई है, उसे वसूली नहीं किये जाने के संबंध में कई परिपत्र जारी किये गये हैं। माननीय न्यायालयों द्वारा भी कई निर्णय पारित किये गये हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 5 वर्ष बाद वसूली किया जाना तथा सेवानिवृत्ति के नजदीकी अवधि में वसूली किया जाना उचित नहीं माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी पुस्तकालयाध्यक्ष को सामूहिक नकल प्रकरण में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सीसीए नियम 16 के अंतर्गत कार्यवाही कर दिनांक 21.02.2002 को आरोप पत्र जारी किया गया है और दिनांक 13.07.2006 के द्वारा अपीलार्थी दोषी मानते हुये असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रथम 10 वर्षीय चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 23.03.2009 के अनुसार 2 वर्ष बढाकर (प्रथम नियुक्ति तिथी 25.01.1993) दिनांक 25.01.2003 के स्थान पर दिनांक 25.01.2005 से स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी को प्रथम एसीपी परिलाभ दण्डादेश में दिये गये दण्ड के प्रभाव की समाप्ति दिनांक 01.07.2009 से प्रथम एसीपी देय है। राज्य सरकार वित्त विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार आदेश दिनांक 23.03.2009 द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 25.01.2005 से स्वीकृत चयनित वेतनमान को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय के पद पर कार्य कर रहा है। उसकी नियुक्ति दिनांक 25.01.1993 को हुई थी। आदेश दिनांक 18.10.2001 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जांच प्रारंभ की गई और आदेश दिनांक 13.07.2006 के द्वारा अपीलार्थी को दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से संचयी प्रभाव से दण्डित किया गया, जिसकी पालना में चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.2003 जो दण्ड से पूर्व, को रोका

गया और दण्ड को आगे भी बढाया गया। जबकि दिनांक 25.01.2003 को अपीलार्थी को कोई दण्ड नहीं दिया गया था। परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग उक्त चयनित वेतनमान को रोका गया। जहां तक अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 25.01.2005 से स्वीकृत चयनित वेतनमान को निरस्त किये जाने का प्रश्न है, विभाग द्वारा सीसीए नियमों के अंतर्गत दण्डादेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है और प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि प्रथम नियुक्ति तिथी 25.01.1993 के अनुसार विभागीय आदेश दिनांक 23.03.2009 के द्वारा दो वर्ष बढाकर दिनांक 25.01.2003 के स्थान पर दिनांक 25.01.2005 से 10 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को 10 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान प्रथम नियुक्ति के अनुसार वर्ष 2003 में मिलने के बजाय दो वर्ष आगे बढाकर वर्ष 2005 में दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को जो दण्ड दिया गया है, उसकी पूर्ण रूप से पालना होना प्रकट होता है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2005 से स्वीकृत चयनित वेतनमान को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया गया है जो नियम विरूद्ध है। चयनित वेतनमान की स्वीकृति केवल दो वर्ष के लिये आगे की जा सकती थी और 10 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.2005 से दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.2017 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 10 वर्षीय चयनित वेतनमान/एसीपी दिनांक 25.01.2005 से स्वीकृत करें एवं अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान करें। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 31.01.2018 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य